

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 147वीं बैठक दिनांक
16 दिसम्बर, 2011 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

- | | |
|--|---|
| 1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. श्री राजीव अग्रवाल | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. श्री प्रताप सिंह भदौरिया
अपर नगर आयुक्त | प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ। |
| 4. श्री एन0आर0वर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 5. श्री ज्ञानेन्द्र देव
अपर निदेशक | प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 6. श्री जी0एस0 गोयल
मुख्य वास्तुविद् एवं नियोजक | प्रतिनिधि-आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 7. श्री एन0पी0 सिंह
संयुक्त निदेशक | प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 8. श्री राम कृष्ण यादव | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |
| 9. श्री सुरेश कुमार रावत | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |

अन्य उपस्थिति :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 13. श्री आनन्द कुमार सिंह | सचिव, ल0वि0प्रा0। |
| 14. श्री संजीव सिन्हा | अपर सचिव, ल0वि0प्रा0। |
| 15. श्री बी0आर0 चक्रवर्ती | वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0। |
| 16. श्री एस0एन0 त्रिपाठी | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 20. श्री जे0एन0 रेड्डी | नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 21. श्री रवि जैन | नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |



विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.09.2011 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.09.2011 का कार्यवृत्त प्राधिकरण बोर्ड के समस्त मा0 सदस्यों को पत्र संख्या-2082/सचिव, वि0प्रा0 दिनांक 08.09.2011 द्वारा प्रेषित किया गया। किसी भी सदस्य द्वारा इस कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अथवा आपत्ति प्राधिकरण में प्राप्त नहीं करायी गयी है। सर्वसम्मति से दिनांक 08.09.2011 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.09.2011 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.09.2011 में लिए गये निर्णयों की प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार हेतु प्राधिकरण की गोमती नगर योजना, विभूति खण्ड में प्रस्तावित 25264.45 वर्गमी0 भूमि के भू-उपयोग को "व्यावसायिक" से "अस्पताल/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान (उच्च चिकित्सीय शिक्षण संस्थान)/शोध केन्द्र" में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित परिचालन से स्वीकृति प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 4 लखनऊ विकास क्षेत्र के लिए ट्रांसफरेबिल डेवलपमेंट राइट्स (टी.डी.आर.) हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये बाई-लॉज में स्थानीय आवश्यकताओं/परिस्थितियों तथा लखनऊ महायोजना-2021 के प्राविधानों के दृष्टिगत कतिपय संशोधन एवं प्रस्तावित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड (बसन्त कुंज) योजना के अन्तर्गत ग्राम-बरीकलां की भूमि हेतु चकबन्दी से पूर्व की स्थिति के आधार पर शसनादेश संख्या:-298/8-3-2010-56 एल.ए./96, दि0 08.02.10 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, कानपुर नगर प्रसार योजना भाग-7 में

आपसी समझौता करने वाले किसानों के प्रतिकर का निर्धारण उक्त योजना के अभिनिर्णय संख्या-4/2011 दिनांक 27.09.2011 के अनुसार करने के सम्बन्ध में, अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के हितबद्ध कास्तकारों की परिसम्पत्तियों /निर्माणों के प्रतिकर पर 1 वर्ष 9 प्रतिशत व 2 वर्ष का 15 प्रतिशत साधारण ब्याज भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में तथा उजरियांव आवासीय योजना भाग-3 ग्राम उजरियांव के किसानों को आपसी समझौते के आधार पर रुपये 7.03 प्रतिवर्गफुट के दर पर प्रतिकर भुगतान किये जाने तथा गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अभिनिर्णय में सम्मिलित निर्माणों/भवनों के अवशेष प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) से वापस मंगाकर प्राधिकरण स्तर से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित 5 प्रस्तावों की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 6 मा0 काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में ग्राम-पारा में बनाये गये 1500 भवनों के साथ निर्मित दुकानों एवं सामुदायिक केन्द्र का आवंटन एवं लीज डीड का निष्पादन लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर से किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को मार्गदर्शन हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

विषय संख्या : 7 देवपुर पारा योजना में वर्ष 2001 में निर्मित आश्रयहीन भवनों को ध्वस्त कर उसी स्थल पर समेकित परियोजना के विकास के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सदस्यों का यह मत था कि प्रश्नगत योजना की परिकल्पना वर्ष 1999 में समाज के दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से की गयी थी तथा शासन द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थल का भू-उपयोग तत्समय कृषि से आवासीय में परिवर्तित किया गया था। अतः इस योजना में निर्मित दुर्बल आय वर्गों के भवनों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् जो भी समेकित योजना विकसित की जाय उसमें दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग श्रेणी के समतुल्य भवन अवश्य निर्मित किये जाय। अतः उक्त प्रतिबन्ध के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

शासनादेश संख्या-4384/8-3-11-181विविध/08 दिनांक 27.09.2011 के माध्यम से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत किये गये परिष्कारों का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण के समक्ष किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित परिष्कारों सहित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदित करते हुये निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

क) शासन द्वारा प्रेषित ऐसे संशोधन, जिनमें कोई परिष्कार प्रस्तावित नहीं है, को अंगीकृत किया जाय।

ख) शासन द्वारा प्रेषित ऐसे संशोधन, जिनमें परिष्कार प्रस्तावित हैं, को शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।

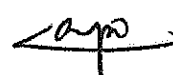
ग) भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर यूनिट्स केवल निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में अनुमन्य की जाय।

विषय संख्या : 9

लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित रिंग रोड के संरेखण एवं इसकी चौड़ाई में परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

प्राधिकरण द्वारा लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित वाह्य रिंग रोड के संरेखण एवं इसकी चौड़ाई के परिवर्तन के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर वाह्य रिंग रोड के संरेखण में परिवर्तन एवं इसकी चौड़ाई को 150 मीटर से कम कर 100 मीटर किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। वाह्य रिंग रोड के संरेखण एवं इसकी चौड़ाई में परिवर्तन के फलस्वरूप अवमुक्त हुई भूमि के भू-उपयोग को इससे संलग्न भूमि के भू-उपयोग के अनुरूप रखे जाने का भी निर्णय लिया गया। चूंकि संरेखण एवं चौड़ाई में परिवर्तन की कार्यवाही जनहित में की जानी है, अतः अवमुक्त हुई भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता नहीं होनी चाहिए।

विषय संख्या : 10

सार्वजनिक निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या-3338/आठ-1-11-80विविध/2010 दिनांक 26.09.2011 के माध्यम से प्रेषित नीति को निम्न संशोधनों के साथ अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

क) कास्ट इंडेक्स के आधार पर वर्तमान में निर्धारित की गयी मासिक आय सीमा को राउण्ड ऑफ करते हुये ई0डब्लू0एस0 लाभार्थियों हेतु ₹ 6,000 तक तथा एल0आई0जी0 लाभार्थियों हेतु ₹ 6,001 से ₹ 12,000 तक रखी जाय।

ख) यदि 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजना में उसी स्थल पर ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 की इकाईयों का निर्माण सम्भव न हो, तो प्राधिकरण द्वारा अपने विकास क्षेत्र में कहीं भी, शासन द्वारा स्वीकृत हाईटेक एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिपस हेतु टाउनशिप के अन्तर्गत अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार, जबकि निजी एवं सहकारी क्षेत्र हेतु उस स्थल के लगभग 1.0 किमी0 के अर्द्ध व्यास में स्थित आवासीय भू-उपयोग की भूमि पर निर्धारित आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जायेगा।

ग) कास्ट इंडेक्स के आधार पर वर्तमान में ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों हेतु आकलित सीलिंग मूल्य क्रमशः ₹ 2.30 लाख एवं ₹ 4.85 लाख प्रति इकाई में मेट्रो नगरों में भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण 20% की बढ़ोत्तरी करते हुए इन्हें क्रमशः ₹ 2.75 लाख एवं ₹ 5.80 रखा जाय।

घ) उपर्युक्त सीलिंग मूल्य न्यूनतम प्लिन्थ एरिया हेतु होगा। यदि प्राधिकरण द्वारा उक्त न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक आकार के ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण किया जाता है तो प्रो-रांटा बेसिस पर भवनों के सीलिंग मूल्य में बढ़ोत्तरी की जाय।

ङ) ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों को लाभार्थी द्वारा विक्रय/हस्तांतरण पर रोक लगाने हेतु इन भवनों का आवंटन लीज होल्ड पद्धति पर किया जाय तथा आवंटन के पश्चात् भवनों के विक्रय को रोकने हेतु 10 वर्षों की लॉक-इन अवधि रखी जाय।

विषय संख्या : 11 सीतापुर रोड प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर-सी में 30 मी० चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित पर व्यावसायिक भूखण्ड की 3308.90 वर्गमी० भूमि के अंश भाग के भू-उपयोग को "सामुदायिक सुविधाएँ (सामुदायिक केन्द्र)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : चूंकि निर्धारित अवधि में प्राधिकरण स्तर पर प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर-सी में 30 मी० चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित पर व्यावसायिक भूखण्ड की 3308.90 वर्गमी० भूमि के अंश भाग के भू-उपयोग को "सामुदायिक सुविधाएँ (सामुदायिक केन्द्र)" में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 12 ग्राम-साढ़ामऊ, परगना महोना, तहसील बक्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ के अन्तर्गत खसरा सं०-327ग, क्षेत्रफल 2.666 हेक्टेअर पर चिकित्सा विभाग द्वारा 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों का निर्माण किये जाने के कारण लखनऊ महायोजना 2021 में भूमि के भू-उपयोग को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा ग्राम-साढ़ामऊ, परगना महोना, तहसील बक्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ के अन्तर्गत खसरा सं०-327ग, क्षेत्रफल 2.666 हेक्टेअर पर चिकित्सा विभाग द्वारा 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों का निर्माण किये जाने के कारण लखनऊ महायोजना 2021 में महायोजना मार्ग व रेलवे की भूमि को छोड़ने के उपरान्त अवशेष भूमि के भू-उपयोग को पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधायें (चिकित्सालय) में निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी की भूमि के समतुल्य अन्य भू-उपयोग की भूमि को पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी में परिवर्तन हेतु चिकित्सा विभाग से आवश्यक विवरण भी प्राप्त किया जाय।




विषय संख्या : 13 गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 में 45 मी० चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित "पुलिस स्टेशन" के स्थल को सेक्टर-4 में 45 मी० एवं 30 मी० चौड़ी सड़क के जंक्शन पर ग्राम-जुराखनपुरवा की आबादी के समीप परिवर्तित किये जाने एवं इसके क्षेत्रफल को मानकों के अनुरूप कम किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 में 45 मी० चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित "पुलिस स्टेशन" के स्थल को सेक्टर-4 में 45 मी० एवं 30 मी० चौड़ी सड़क के जंक्शन पर ग्राम-जुराखनपुरवा की आबादी के समीप परिवर्तित किये जाने एवं इसके क्षेत्रफल को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं शासनादेश संख्या-1829/आठ-1-9-29के०डी०ए०/०९ दिनांक 16.06.09 में निर्धारित मानकों के अनुरूप 1.1 हे० से कम करते हुये 4000 वर्ग मी० करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एलयूसी/96 दिनांक 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 14 सेक्टर-सी०एस० अलीगंज में ई०डब्ल्यू०एस० भवनों की योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-सी०एस० अलीगंज में अतिक्रमण से मुक्त करायी गई अर्जित भूमि पर 4 मंजिलें ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15 उ०प्र० सिंचाई विभाग के परिकल्प संस्थान की निर्माणाधीन आवासीय/अनावासीय भवनों की योजना को लखनऊ महायोजना में संयोजित/दर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सिंचाई विभाग के स्वामित्व में गाटा संख्या-607 ग्राम-भदरूख, सालेहनगर की 40621 वर्ग मी० भूमि, जिसका भू-उपयोग लखनऊ महायोजना 2021 में 'कैनाल' है, में से 35680.50 वर्ग मी० भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय' तथा अवशेष 4940.50 वर्ग मी० भूमि के भू-उपयोग को कार्यालय में निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर

कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 16 मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ-रायबरेली रोड पर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप के प्रथम चरण (722.19 एकड़) के भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा ग्राम-कल्ली पश्चिम में मेसर्स गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की 25.437 हे0 भूमि, जिसका भू-उपयोग लखनऊ महायोजना 2021 में 'कृषि' है, को 'आवासीय' में निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 17 रश्मि खण्ड-शारदा नगर योजना के अन्तर्गत आरक्षित फ़ैसिलिटी भूखण्ड को आवासीय उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा रश्मि खण्ड-शारदा नगर योजना के अन्तर्गत आरक्षित फ़ैसिलिटी भूखण्ड को आवासीय उपयोग में परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु शासनादेश संख्या - 2438/9-आ-3-98-60एलयूसी/96 दिनांक 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की।

विषय संख्या : 18 प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिलें भवन/काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु निविदा शर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिलें भवन/काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु निविदा शर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 19 पेंशन योजना को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत/केन्द्रीयत सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ/उपादान आदि दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3850/आठ-5-11-10ई0/11 दिनांक 11.11.2011 एवं अधिसूचना संख्या-3851/आठ-5-11-10ई0/11 दिनांक 11.11.2011

अंगीकृत करते हुये अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 20 शासनादेश के अनुक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण में ओ0टी0एस0 योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा वन टाइम सेटलमेन्ट योजना (ओ0टी0एस0 योजना 2002) के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-3367/आठ-1-11-01विविध/2000 दि0 29.11.2011 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 21 लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित "सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिताएँ एवं सेवाओं" के गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 अंश भूमि को "कार्यालय" भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नदी तथा सुल्तानपुर मार्ग के मध्य विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम-अरदौनामऊ की लगभग 20.0 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को लखनऊ महायोजना 2021 में 'सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ' से 'कार्यालय' में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 22 गोमती नगर योजना फेज-2 के विभूति खण्ड स्थित बिल्डिंग सेन्टर को विस्थापित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : बैठक में अवगत कराया गया कि, गोमती नगर योजना विभूति खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 1995 में हडको के अनुदान से बिल्डिंग सेन्टर की स्थापना की गयी थी, जिसका उद्देश्य श्रमिकों एवं मिरिस्त्रियों को भवन निर्माण के क्षेत्र में 'लो-कारस्ट टेक्नोलॉजी' का प्रशिक्षण दिया जाना था। वर्तमान में इसकी उपयोगिता काफी सीमा तक समाप्त हो गई है एवं इसके अन्तर्गत अब इतने बड़े भू-भाग की आवश्यकता नहीं है। इस बिल्डिंग सेन्टर को पूर्व की भांति अलीगंज योजना में स्थानान्तरित कर विभूति खण्ड योजना की भूमि, जिसका महायोजना अनुसार भू-उपयोग व्यवसायिक, नगर केन्द्र है, को निस्तारित किये जाने में प्राधिकरण को वित्तीय लाभ होगा। अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर योजना के विभूति खण्ड स्थित बिल्डिंग सेन्टर को अलीगंज योजना में स्थानान्तरित किये जाने

से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं इससे विभूति खण्ड में रिक्त हो रही भूमि को नगर केन्द्र के अन्तर्गत व्यवसायिक उपयोग में निस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 23

डा० भीमराव अम्बेडकर गोमती विहार के सम्मुख 08 लेन मार्ग पर ग्राम जियामऊ स्थित प्राधिकरण की भूमि पर उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये गये विकास कार्यों पर व्यय की गयी रु०—183.59 लाख की धनराशि का भुगतान प्राधिकरण निधि से किये जाने विषयक।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर गोमती विहार के सम्मुख 08 लेन मार्ग पर ग्राम जियामऊ स्थित प्राधिकरण की भूमि पर उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये गये विकास कार्यों पर व्यय की गयी ₹ 183.59 लाख की धनराशि का भुगतान प्राधिकरण निधि से किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं इस व्यय को प्रश्नगत स्थल पर पी०पी०पी० पद्धति पर प्रस्तावित पांच सितारा होटल कम व्यवसायिक संकुल की योजना में लोड किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 24

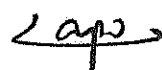
छितवापुर स्थित विकासदीप व्यावसायिक केन्द्र के विभिन्न तलों पर सरकारी विभागों/उपक्रमों को कार्यालय प्रयोग हेतु आवंटित तलों की बकाया अनुरक्षण धनराशि पर साधारण दर से ब्याज लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा छितवापुर स्थित विकासदीप व्यावसायिक केन्द्र के विभिन्न तलों पर सरकारी विभागों/उपक्रमों को कार्यालय प्रयोग हेतु आवंटित तलों की बकाया अनुरक्षण धनराशि पर गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में सूचित बकाया धनराशि पर साधारण दर से ब्याज तथा शेष देयता बिना ब्याज के लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 25

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में इन्स्टीट्यूट आफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं केन्द्र सरकार/अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के विभागों व अधीनस्थ संस्थाओं को आवंटित की जाने वाली भूमि पर आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज को राज्य सरकार के विभागों एवं अधीनस्थ विभागों की भौति माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में इन्स्टीट्यूट आफ नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो एवं केन्द्र सरकार/अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के विभागों व अधीनस्थ संस्थाओं को आवंटित की जाने वाली भूमि पर आरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज को राज्य सरकार के विभागों एवं अधीनस्थ विभागों की भौति शासनादेश संख्या -3818/आठ-1-2009-135एल0डी0ए0/2009 दिनांक 06.11.2009 के प्राविधानों के अनुरूप आवंटन के 02 वर्ष तक अदेय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो हेतु यह निर्णय आवंटन की तिथि से retrospectively लागू करते हुये पूर्व में दण्ड ब्याज के रूप में जमा धनराशि को माफ करने का निर्णय भी लिया गया।

विषय संख्या : 26

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि आवंटन एवं दरों में शासनादेश के अनुसार छूट एवं नगर महायोजना में अंकित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1206/9-आ-1-96 दिनांक 18 मार्च, 1996 में प्राविधानित नीति के आलोक में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को विभूति खण्ड में व्यवसायिक आरक्षित दर ₹ 32,000 (रुपये बत्तीस हजार) प्रति वर्ग मीटर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी दिनांक 11.02.2011 की प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के विषय संख्या-14 में लिये गये निर्णय की पुनः पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 27

भूखण्ड संख्या-2 क्षेत्रफल 1120.40 वर्ग मी0, तिलक मार्ग (मोती महल के निकट) लखनऊ के भू-उपयोग को 'आवासीय' से 'व्यवसायिक' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के आस-पास के भूखण्डों में वृहद मात्रा में व्यवसायिक एवं अन्य गैर आवासीय गतिविधियां चल रही है, जिससे इस सम्पूर्ण मार्ग का आवासीय स्वरूप समाप्त होता जा रहा है। इस मार्ग की महायोजना 2021 में चौड़ाई 24 मी0 प्रस्तावित की गयी है, जो कि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि हाल में ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश में आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में विपरीत टिप्पणी की गयी है, अतः प्रश्नगत प्रकरण को मा0 उच्चतम

न्यायालय के आदेशों के आलोक में भी शासन स्तर पर परीक्षण कराया जाना उचित होगा। अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या-2, क्षेत्रफल 1120.40 वर्ग मी०, तिलक मार्ग (मोती महल के निकट) लखनऊ के भू-उपयोग को 24.00 मीटर मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के पश्चात् 'आवासीय' से 'व्यवसायिक' में निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर उ०प्र० योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 28

सीतापुर रोड स्थित प्रदर्शनी योजना के सेक्टर-बी में स्थित 'फैसिलिटीज एवं बिल्डिंग सेन्टर' हेतु आरक्षित कुल 8080.00 वर्ग मी० भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड स्थित प्रदर्शनी योजना के सेक्टर-बी में स्थित 'फैसिलिटीज एवं बिल्डिंग सेन्टर' हेतु आरक्षित कुल 8080.00 वर्ग मी० भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु शासनादेश संख्या - 2438/9-आ-3-98-60एल्यूसी/96 दिनांक 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव

(राजीव अग्रवाल)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।